भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1525

28.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

आवश्यक निर्माण उपकरणों का घरेलू विनिर्माण

1525 **श्री दुष्यंत सिंहः**

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की खनन और निर्माण क्षेत्र के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण निर्माण उपकरणों के संबंध में भारत की दीर्घकालिक आयात निर्भरता को देखते हुए, देश में ऐसे आवश्यक निर्माण उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए किसी समर्पित योजना को प्रारंभ करने की योजना है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने खनन और निर्माण क्षेत्र में भारी निर्माण उपकरणों पर आयात निर्भरता के स्तर का श्रेणी-वार आकलन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे आयातों के परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा का व्यय हुआ है; और

(ग) क्या सरकार ने भारत में भारी निर्माण उपकरणों के स्वदेशी विकास और विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसी वर्तमान योजनाओं के साथ अभिसरण की संभावनाओं का परीक्षण किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): उच्च मूल्य एवं तकनीकी रूप से उन्नत निर्माण एवं अवसंरचना उपकरण (सीआईई) के घरेलू विनिर्माण को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्माण एवं अवसंरचना उपकरण (सीआईई) संवर्धन स्कीम की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई है।

(ख): भारतीय निर्माण उपकरण विनिर्माता संघ (आईसीईएमए) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारतीय विनिर्माण उपकरण उद्योग की अनुमानित आयात निर्भरता लगभग 34,500 करोड़ रुपए थी। इसमें पूर्णतः निर्मित निर्माण उपकरणों का आयात लगभग 4,250 करोड़ रुपए का था, जबकि शेष लगभग 30,250 करोड़ रुपए घरेलू स्तर पर विनिर्माण उपकरणों के विनिर्माण हेतु आवश्यक घटकों एवं समेकित कलपुर्ज़ों के आयात से संबंधित था।

(ग): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****